HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9891/2026
CNR: RJHC020590862026 | URN: CRLMB / 18336U / 2026

Imtiyaz Alam @ Aman Raj S/o Shri Mohmmad Vakil, Aged About 37 Years, R/o Fasai Tola, Tehsil Siwan, Police Station Kach-Hari Siwan District Siwan Bihar At Present R/o As A Tenant House No. 23, Om Shanti Enclav, Surya Vihar Part 3, Sector 91, Faridabad, Hariyana At Present R/o As A Tenant Rafat Ka Makan No. 48, Shiv Enclav, Islampur Basantpura Road, Police Station Pahla, District Faridabad (At Present Confined In Centre Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinod Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना**–जवाहर नगर, जयपुर शहर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या**–97/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 324(4), 324(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 23.04.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में उस पर परिवादी की कार से लेपटॉप चुराने का आरोप है, अभियुक्त दिनांक 23.04.2026 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **इम्तियाज आलम उर्फ अमन राज पुत्र मोहम्मद वकील** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

87/Mittal